एम डी. रफीक उर्फ चाचू

बनाम

पश्चिम बंगाल राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 828, 2008)

21 नवंबर 2008

डाॅ. अरिजीत पसायत और डॉ. मुकुंदकम शर्मा, जे.जे.,

दंड संहिता, 1860

धारा 302- धारा 302 और 398 के तहत अभियोजन - घटना के चश्मदीद गवाह, घायल,- चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पुष्टि - ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि -उच्च न्यायालय द्वारा धारा 302 के तहत दोषसिद्धि की पुष्टि और धारा 398 के तहत आरोपी को दोषमुक्त घोषित किया - अपील में अभिनिर्धारित - धारा 302 के तहत मानी गई दोषसिद्धि न्यायोचित है जिसे धारा 304 में परिवर्तित किये जाने योग्य नहीं।

धारा 300 खंड (3) चर्चा का दायरा।

एस.एस. 299 और 300 - ''मानव वध'' और 'हत्या' - के बीच अंतर - चर्चा की गई।

रियायत - अदालत के समक्ष दी गई रियायत। अपील, ऐसी रियायत देने से इनकार करने वाला पक्ष - माना गया - रियायत को अपीलीय अदालत के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती - इसके खिलाफ शिकायत उस न्यायाधीश को की जानी चाहिए जिसके समक्ष रियायत दी गई थी।

अपीलार्थी - अभियुक्त व उसके साथ अन्य का एक व्यक्ति की मौत और दो व्यक्तियों को घायल करने के लिए आईपीसी की धारा 302 और 398 के तहत मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आरोपी हथियार से लैस होकर मृतक की दुकान पर गए और कैश बॉक्स की चाबी मांगी। इनकार करने पर, अपीलकर्ता ने मृतक पर गोली चला दी और उसके बाद अन्य आरोपियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की। उन्होंने मृतक के दो बेटों पर भी हमला किया। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता-अभियुक्त को आईपीसी की धारा 302 और 398 के तहत दोषी ठहराया।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, अपीलकर्ता ने स्वीकार किया कि एफआईआर कर्ता की साक्ष्य और अन्य गवाहों की साक्ष्य से, यह स्थापित किया गया था कि अपीलकर्ता दुकान के कमरे में शारीरिक रूप से मौजूद था और उसने मृतक पर आग्नेयास्त्र से हमला किया था। हालाँकि, उन्होंने तर्क दिया कि इस बात पर संदेह पैदा करने की गुंजाइश है कि क्या अपीलकर्ता ने मृतक की मृत्यु करने के इरादे से उस पर गोली चलाई थी

और इसलिए धारा 302 के तहत मामला नहीं बनता है और आईपीसी की धारा 398 के तहत दोषसिद्धि की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि की पुष्टि की, जबकि अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 398 के तहत दोषमुक्त घोषित किया गया।

इस न्यायालय के समक्ष अपील में, अपीलकर्ता-अभियुक्त ने तर्क दिया कि धारा के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। अपीलकर्ता की कोई पहचान नहीं थी और उच्च न्यायालय ने गलती से कुछ रियायतें दर्ज कर दी, जो वास्तव में नहीं दी गई थी।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित : 1.1. आरोपी अपीलकर्ता ने मृतक पर अपने आग्नेयास्त्र से गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। घटना के दो चश्मदीद गवाह हैं यानी पी.डब्लू 12 और 24 वे मृतक के बेटे हैं और घटना में घायल हुए थे। डॉक्टर पी.डब्लू-22 ने बताया था कि मृतक की मौत बंदूक की गोली के प्रभाव के कारण हुई थी। इस दलील में कोई दम नहीं है कि यह अपराध आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत नहीं आता है। [पैरा 21, 22, 23 और 24] [538-एफ, जी 539- डी]

1.2. पहचान परेड कराने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्थिति स्पष्ट की है जिसमें कहा गया है कि 7.10.1996 को वर्तमान अपीलार्थी की पहचान नहीं हो सकी थी क्योंकि गलत व्यक्ति को टीआई परेड में रखा गया था। वास्तविक संदिग्ध यानी अपीलकर्ता को टीआई परेड में नहीं रखा गया था और इस तथ्य को टीआई परेड से संबंधित रिपोर्ट में नोट किया गया है। इसके बाद, टीआई परेड आयोजित की गई जहां अपीलकर्ता की पहचान की गई। [पैरा 19] [538-डी]

2.1. भारतीय दण्ड संहिता की योजना में 'सदोष मानववध' एक वंश है तथा हत्या उसकी एक प्रजाति है। सभी हत्याएं 'सदोष मानववध' हैं, लेकिन इसके विपरीत नहीं। आम तौर पर 'सदोष मानववध' हत्या की कुछ विशिष्ट विशेषताओं के बिना 'सदोष मानववध' है जो हत्या की परिभाषा में नहीं आता है। सामान्य अपराध की गंभीरता के अनुपात में सजा तय करने के उद्देश्य से, आईपीसी व्यावहारिक रूप से सदोष मानववध की तीन डिग्रियों को मान्यता देती है। पहला,प्रथम डिग्री का सदोष मानववध कहा जा सकता है जो सदोष मानववध का सबसे गंभीर रूप है जिसे धारा 300 में हत्या के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे को दूसरी डिग्री का सदोष मानववध कहा जा सकता है जो धारा 304 के पहले भाग के तहत दंडनीय है। फिर, थर्ड डिग्री का सदोष मानववध है। यह सदोष मानववध का सबसे निचला प्रकार है और इसके लिए दी जानी वाले सजा भी तीनों

श्रेणियों में दी गई सजाओं में सबसे कम है। इस डिग्री का सदोष मानववध धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय है। [पैरा 6] [532-ए-डी]

2.2. इन प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग के दृष्टिकोण का सबसे सुरक्षित तरीका धारा 299 और 300 के विभिन्न खंडों में उपयोग किए गए कीवर्ड को ध्यान में रखना है। धारा 299 के खंड (बी) और धारा 300 के खंड (3) के बीच अंतर शारीरिक चोट कारित करने के आशय की संभावना की डिग्री में से एक है। [पैरा 6] [532-ई-एफ; 534-ई-एफ]

2.3. अभियोजन पक्ष को धारा 300 के तहत मामला लाने से पहले निम्नलिखित तीन तथ्यों को साबित करना आवश्यक होगा। सबसे पहले, इसे काफी निष्पक्ष रूप से स्थापित करना होगा, कि कोई शारीरिक चोट मौजूद है। दूसरे, चोट की प्रकृति अवश्य साबित होनी चाहिए। ये पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ जांच का विषय हैं। तीसरा, यह आवश्यक रूप से साबित करना होगा कि उस विशेष चोट को पहुंचाने का आशय था। ऐसा नहीं था कि आकस्मिक या अनजाने में या किसी अन्य प्रकार की चोट पहुंचाने का आशय था। एक बार जब ये तीन तत्व मौजूद होना साबित हो जाते हैं, तो जांच आगे बढ़ जाती है, और चौथा यह साबित होना चाहिए कि ऊपर बताए गए तीन तत्वों से बनी जिस प्रकार की चोट का वर्णन किया गया है, वह प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। जांच का यह हिस्सा पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ और अनुमानात्मक है और

इसका अपराधी के इरादे से कोई लेना-देना नहीं है। [पैरा 11] [535-सी-ई]

2.4. आईपीसी की धारा 300 के खंड तीसरे के तहत, सदोष मानववध हत्या है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो यानी (ए) कि वह कार्य जो मृत्यु का कारण बनता है मृत्यु कारित करने के इरादे से किया गया है या शारीरिक रूप क्षति कारित करने के इरादे से किया गया है और (बी) कि जो क्षति पहुंचाने का आशय था और जो क्षति पहुंचाई गई थी वह प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी अर्थात् जो चोट पाई गई थी वहीं चोट थी जिसे पहुंचाने का ईरादा था। [पैरा 14] [537-ए-बी]

2.5. भले ही अभियुक्त का आशय शारीरिक चोट कारित करने तक सीमित था जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में हत्या के लिए पर्याप्त था। यद्यपि उसका आशय हत्या करना नहीं था फिर भी अपराध हत्या ही होगा। धारा 300 से जुड़ा उदाहरण (सी) इस बिन्दू को स्पष्ट रूप से सामने लाता है। [पैरा 15] [537-सी-डी]

2.6. धारा 299 के खंड (सी) और धारा 300 के खंड (4) दोनों के लिए किसी कृत्य के कारण मृत्यु की संभावना का ज्ञान होना आवश्यक है। धारा 300 का खंड (4) वहां लागू होगा जहां अपराधी को सामान्य रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु की संभावना का ज्ञान हो। जो कि विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के आसन्न खतरनाक कार्यों से उत्पन्न होने वाले

खतरे से अलग है और यह व्यावहारिक निश्चितता के करीब है। अपराधी की ओर से ऐसा ज्ञान उच्चतम स्तर की संभावना का होना चाहिए, अपराधी द्वारा किया गया कार्य मौत या ऐसी चोट का जोखिम उठाने के किसी भी बहाने के बिना किया गया है। उपरोक्त केवल व्यापक दिशा-निर्देश हैं, कोई अनिवार्यता नहीं। अधिकांश मामलों में, उनके पालन से न्यायालय के कार्य में सुविधा होगी। लेकिन कभी-कभी तथ्य आपस में इतने जुड़े हुए होते हैं और दूसरे और तीसरे चरण एक-दूसरे में इतने दूरदर्शी होते हैं कि दूसरे और तीसरे चरण में शामिल मामलों को अलग से उपचार देना सुविधाजनक नहीं हो सकता है। [पैरा 16 और 17] [537-डी-एफ]

राजवंत और अन्य. बनाम केरल राज्य, एआईआर 1966 एससी 1874, विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1958 एससी 465, आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रयावारपु पुन्नय्या और अन्य। 1976 (4) एससीसी 382 अब्दुल वहीद खान उर्फ वहीद और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (जेटी) 2002 (6) एससी 274, ऑगस्टीन सलदान्हा बनाम कर्नाटक राज्य 2003 (10) एससीसी 472, थंगैया बनाम तमिलनाडु राज्य 2005 (9) एससीसी 650, सुंदर लाल बनाम राजस्थान राज्य 2007 (10) एससीसी 371 और कंडास्वामी बनाम राज्य प्रतिनिधि द्वारा पुलिस निरीक्षक (एसएलपी (क्रि.) संख्या 5134/2006 द्वारा दिनांक 17.7.2008 को निस्तारित, पर भरोसा किया गया।

3. अपील के ज्ञापन में भी कोई आधार नहीं लिया गया है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई रियायत दर्ज नहीं की गई थी। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ पहलुओं को स्वीकार किया। ऐसा करने के बाद, अपीलकर्ता के लिए यह खुला नहीं है कि वह पलटे या पीछे हटे। दलील है कि कोई रियायत नहीं दी गई। यह स्पष्ट रूप से अवसर ताकने का मामला है, और इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। यदि वास्तव में कोई रियायत नहीं थी, तो एकमात्र रास्ता जो अपीलार्थी के लिए खुला था, अपीलकर्ता को उच्च न्यायालय का रुख करना था। सुनवाई के दौरान जो कुछ घटित हुआ, उसके बारे में तथ्यात्मक बयान, न्यायालय के निर्णय में दर्ज किए गए, तथ्यों के लिए निर्णायक हैं, इसलिए कोई भी ऐसे बयानों को हलफनामे या अन्य साक्ष्यों से खंडित नहीं कर सकता है। यदि किसी पक्ष को लगता है कि अदालत में होने वाली घटनाओं को फैसले में गलत तरीके से दर्ज किया गया है, तो यह उस पक्ष पर निर्भर है, कि वह उन न्यायाधीशों का ध्यान आकर्षित करें जिन्होंने फैसला सुनाया है। जबकि मामला अभी भी न्यायाधीशों के दिमाग में ताजा है। रिकॉर्ड को सही करने का यही एकमात्र तरीका है। अगर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया तो मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए अपीलकर्ता के लिए इस न्यायालय के समक्ष इसके विपरीत तर्क देने का विकल्प खुला नहीं है। [पैरा 5] [531-एफ-एच; 532-ए-डी]

महाराष्ट्र राज्य बनाम रामदास श्रीनिवास नायक (1982 (2) एससीसी 463) भावनगर विश्वविद्यालय बनाम पालिताना शुगर मिल (पी) लिमिटेड 2003 (2) एससीसी 111 और रूप कुमार बनाम मोहन ठेडानी 2003 (6) एससीसी 595 पर निर्भर

केस कानून संदर्भः

1982 (2) एससीसी 463	पर निर्भर	पैरा 5
2003 (2) एससीसी 111	पर निर्भर	पैरा 5
2003 (6) एससीसी 595	पर निर्भर	पैरा 5
एआईआर 1966 एससी 1874	पर निर्भर	पैरा 10
एआईआर 1958 एससी 465	पर निर्भर	पैरा 11
1976 (4) एससीसी 382	पर निर्भर	पैरा 5
(जेटी) 2002 (6) एससी 274	पर निर्भर	पैरा 18
2003 (10) एससीसी 472	पर निर्भर	पैरा 18
2005 (9) एससीसी 650	पर निर्भर	पैरा 18
2007 (10) एससीसी 371	पर निर्भर	पैरा 18
2008 (10) एससीआर 1103	पर निर्भर	पैरा 18

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2006 की आपराधिक अपील संख्या 828

उच्च के निर्णय एवं आदेश दिनांक 24.1.2006 कलकत्ता उच्च न्यायालय कलकत्ता 1999 की आपराधिक अपील संख्या 367

अपीलकर्ताओं के लिए बी.एस. मलिक एवं संजय शरावत।

अविजीत भट्टाचार्जी और सौम्या कुंडू उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

डॉ. अरिजीत पसायत, जे. 1. इस अपील में चुनौती कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के फैसले को दी गई है, जिसने अपीलकर्ता की भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 (संक्षेप में 'आईपीसी') के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा को बरकरार रखा था तथा धारा 398 के तहत दोषसिद्धि को रद्द की जो विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अलीपोर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 6 (1) वर्ष 1997 में दी गई।

2. अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है:

1 अगस्त, 1996 को रात में लगभग 11.40 बजे वर्तमान अपीलकर्ता अन्य लोगों के साथ 7/1, बम्पास रोड, कलकत्ता-29 स्थित "प्रभात स्टोर्स" के नाम और स्टाइल वाली किराने की दुकान के सामने एक फर्जी नंबर

प्लेट वाली सफेद एम्बेसडर कार में आए। एंबेसेडर कार में आए लोग पिस्तौल, नेपाला आदि हथियारों से लैस थे और वे किराना दुकान में घुस गए और दुकान के मालिक गुलाब मेहता (इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित) से कैश बॉक्स की चाबी की मांग की। उस समय गुलाब मेहता अपने पुत्र मुकेश मेहता के साथ खाना खाने ही वाले थे कि तभी प्रथम सूचनाकर्ता श्याम मेहता पीने का पानी लेकर दुकान के अंदर आ गया। चूंकि गुलाब मेहता ने कैश बॉक्स की चाबी देने से इनकार कर दिया था, इसलिए वर्तमान अपीलकर्ता ने मृतक की छाती पर सामने से गोली मार दी और चोट लगने पर वह गिर गया और उसके बाद अपीलकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्तियों ने उस मृतक व्यक्ति को कट चोटें पहुंचाईं। बदमाशों ने मुकेश मेहता पर रिवॉल्वर के बट से भी हमला किया। घटना के तुरंत बाद, प्रथम सूचनाकर्ता श्याम मेहता और उनके भाई मुकेश मेहता की चीखें सुनकर, मोहल्ले के पड़ोसी दुकान में पहुंचे और गुलाब मेहता और मुकेश मेहता को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में गुलाब मेहता ने दम तोड़ दिया। पड़ोसियों में से एक ने घटना के बारे में तुरंत टॉलीगंज पुलिस स्टेशन को सूचित किया और इसके तुरंत बाद टॉलीगंज पुलिस स्टेशन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। जांच पूरी होने पर, पुलिस ने वर्तमान अपीलकर्ता के साथ-साथ अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के साथ धारा धारा 34 , धारा 307 के साथ धारा धारा 34 और धारा धारा 398 के

साथ धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया। चूंकि आरोपी व्यक्तियों ने खुद को निर्दोष बताया, इसलिए मुकदमा चलाया गया।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने स्वीकार किया कि घटना से संबंधित तथ्य को कोई चुनौती नहीं है। यह भी माना गया कि एफआईआर कर्ता के साक्ष्य और मुकदमे के दौरान जांचे गए अन्य गवाहों के साक्ष्य से यह स्थापित हुआ कि वर्तमान अपीलकर्ता दुकान के कमरे के अंदर शारीरिक रूप से मौजूद था। यह भी माना गया कि अभियोजन के आरोप से इनकार करने की बहुत कम गुंजाइश थी कि आरोपी ने मृतक गुलाब मेहता पर आग्नेयास्त्र की मदद से हमला किया था। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया गया कि जिन परिस्थितियों में गोलीबारी की गई है वे बहुत स्पष्ट नहीं हैं। एफआईआर कर्ता का भाई, जो घटना के समय घायल हो गया था, उसने अपीलकर्ता की पहचान उस व्यक्ति के रूप में नहीं की थी जिसने उसके पिता पर गोली चलाई थी और इसलिए, इस बात पर संदेह पैदा करने की गुंजाइश थी कि क्या अपीलकर्ता की मंशा मौत कारित करने की थी। गुलाब मेहता ने उस पर गोली चला दी. दूसरे शब्दों में, यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 302 के तहत मामला नहीं बनता है। उच्च न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया, हालांकि उसने इस रुख को स्वीकार किया कि आईपीसी की धारा 398 के तहत

दोषसिद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपनाए गए रुख को दोहराया गया। अपील के समर्थन में, यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने गलती से कुछ रियायतें दर्ज की हैं जो वास्तव में नहीं दी गई थीं। यह प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी स्थिति में आईपीसी की धारा 302 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता की कोई पहचान नहीं थी जैसा कि दावा किया गया है।

3. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि तथ्यात्मक परिदृश्य ने आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध को स्पष्ट रूप से स्थापित किया है।

4. जहां तक रियायत के पहलू का सवाल है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपील के ज्ञापन में भी कोई आधार नहीं लिया गया है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज की गई कोई रियायत नहीं थी।

5. रियायत के अभाव से संबंधित याचिका पर पहले विचार करना तर्कसंगत होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ पहलुओं को स्वीकार किया। ऐसा करने के बाद,अपीलकर्ता के लिए यह खुला नहीं है कि वह पलटे या यह दलील दे कि कोई रियायत नहीं दी गई थी। यह स्पष्ट रूप से अवसर ताकने का मामला है, और इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। यदि वास्तव में

कोई रियायत नहीं थी, तो अपीलकर्ता के लिए एकमात्र रास्ता महाराष्ट्र राज्य बनाम रामदास श्रीनिवास नायक (1982 (2) एससीसी 463) में कही गई बातों के अनुरूप उच्च न्यायालय में जाना था। एक निर्णय में भावनगर विश्वविद्यालय बनाम पालिताना शुगर मिल (पी) लिमिटेड (2003 (2) एससीसी 111) उक्त मामले में दृष्टिकोण को यह देखते हुए दोहराया गया कि सुनवाई में जो कुछ हुआ, उसके बारे में तथ्यात्मक बयान, अदालत के फैसले में दर्ज किए गए हैं, इस प्रकार बताए गए तथ्यों के बारे में निर्णायक हैं इसलिए कोई भी ऐसे बयानों के हलफनामे या अन्य साक्ष्यों से खंडित नहीं कर सकता है। यदि किसी पक्ष को लगता है कि अदालत में होने वाली घटनाओं को फैसले में गलत तरीके से दर्ज किया गया है, तो यह उस पक्ष पर निर्भर है, कि वह उन न्यायाधीशों का ध्यान आकर्षित करें जिन्होंने फैसला सुनाया है। जबकि मामला अभी भी न्यायाधीशों के दिमाग में ताजा है। रिकॉर्ड को सही करने का यही एकमात्र तरीका है। अगर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया तो मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए. अपीलकर्ता के लिए इस न्यायालय के समक्ष इसके विपरीत तर्क देने का विकल्प खुला नहीं है। उपरोक्त स्थिति को रूप कुमार बनाम मोहन थेदानी (2003) 6 एससीसी 595) में उजागर किया गया था।

6. यह हमें उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाता है कि कौन सा प्रावधान लागू किया जाना उचित था। आईपीसी की योजना में सदोष मानववध एक वंश है और 'हत्या' अपनी प्रजाति है। सभी 'हत्याएं' 'सदोष मानववध' हैं लेकिन इसके विपरीत नहीं। आम तौर पर कहें तो, 'सदोष मानववध', 'हत्या की विशेष विशेषताओं के बिना, सदोष मानववध हत्या है।' सामान्य अपराध की गंभीरता के अनुपात में सजा तय करने के उद्देश्य से, आईपीसी व्यावहारिक रूप से सदोष मानववध हत्या की तीन डिग्री को मान्यता देती है। पहला है, जिसे 'प्रथम श्रेणी की सदोष मानववध हत्या' कहा जा सकता है। यह सदोष मानववध हत्या का सबसे गंभीर रूप है, जिसे धारा 300 में 'हत्या' के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे को 'दूसरी डिग्री की सदोष मानववध कहा जा सकता है। यह धारा 304 के प्रथम भाग के अंतर्गत दंडनीय है । फिर, 'थर्ड डिग्री की सदोष मानववध हत्या' है। यह सदोष मानववध हत्या का सबसे निचला प्रकार है और इसके लिए दी जाने वाली सज़ा भी तीनों श्रेणियों के लिए दी गई सज़ाओं में सबसे कम है। इस स्तर की सदोष मानववध हत्या धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय है ।

7. 'हत्या' और 'सदोष मानववध' के बीच अकादमिक अंतर ने हमेशा न्यायालयों को परेशान किया है। भ्रम तब पैदा होता है, जब न्यायालय इन धाराओं में विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों के वास्तविक दायरे और

अर्थ को भूल जाते हैं, खुद को सूक्ष्म अमूर्तताओं में उलझा लेते हैं। इन प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग के लिए दृष्टिकोण का सबसे सुरक्षित तरीका धारा 299 और 300 के विभिन्न खंडों में उपयोग किए गए कीवर्ड को ध्यान में रखना है । निम्नलिखित तु तुलनात्मक तालिका दोनों अपराधों के बीच अंतर के बिंदुओं को समझने में सहायक होगी।

धारा 299	धारा 300
एक व्यक्ति मानववध करता है यदि वह कार्य किया गया है जिसके कारण मृत्यु हुई है।	कुछ अपवादों के अधीन मानववध हत्या है यदि वह कार्य किया गया है जिसके कारण मृत्यु हुई है।
आशय	
(ए) मृत्यु कारित करने के आशय से या	(1) मृत्यु कारित करने के आशय से या
(बी) ऐसी शारीरिक चोट कारित करने के आशय से जो मृत्यु का कारण हो या	(2) ऐसी शारीरिक चोट कारित करने के आशय से जहां अपराधी यह जानता हो कि वह चोट मृत्यु का कारण बने जिसे वह हानि पहुंचाई गई हो या

	(3) किसी व्यक्ति को ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से चोट कारित करना जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु के लिए पर्याप्त हो या
ज्ञान	
(सी) इस ज्ञान के साथ कार्य करें कि मृत्यु का कारण बनने की संभावना है।	(4) इस ज्ञान के साथ कि कार्य करें कि कार्य इतना आसन्न संकट है कि मृत्यु की पूर्ण संभावना है और ऐसी शारीरिक शक्ति जो मृत्यु के लिए पर्याप्त है और बिना किसी बहाने के मृत्यु का जोखिम उठाकर या ऐसी चोट जो उपर वर्णित की गई है।

8. धारा 299 का खंड (बी) धारा 300 के खंड (2) और (3) से मेल खाता है । खंड (2) के तहत अपेक्षित मानसिक स्थिति की विशिष्ट विशेषता अपराधी के पास मौजूद पीड़ित के ऐसी विशेष अजीब स्थिति या स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में ज्ञान है कि उसे होने वाली आंतरिक क्षति घातक होने की संभावना है, इस तथ्य के बावजूद कि इस तरह की क्षति प्रकृति के सामान्य तरीके से किसी व्यक्ति की सामान्य स्वास्थ्य या स्थिति

में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि 'मौत का कारण बनने का आशय' खंड (2) की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। केवल शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा और अपराधी को इस बात की जानकारी होना कि ऐसी चोट से किसी विशेष पीड़ित की मृत्यु हो सकती है, ही हत्या को इस धारा के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त है। खंड (2) का यह पहलू धारा 300 से जुड़े चित्रण (बी) से स्पष्ट होता है ।

9. धारा 299 का खंड (बी) अपराधी की ओर से इस तरह के किसी भी ज्ञान की पुष्टि नहीं करता है। धारा 300 के खंड (2) के अंतर्गत आने वाले मामलों में यह हो सकता है कि हमलावर जानबूझकर मुक्का मारकर मौत का कारण बनता है, यह जानते हुए कि पीड़ित बढ़े हुए यकृत या बढ़ी हुई प्लीहा या रोगग्रस्त हृदय से पीड़ित है और इस तरह के झटके से उसकी मृत्यु होने की संभावना है। उस विशेष व्यक्ति को यकृत या प्लीहा के फटने या हृदय की विफलता के परिणामस्वरूप, जैसा भी मामला हो। यदि हमलावर को पीड़ित की बीमारी या विशेष कमजोरी के बारे में ऐसा कोई ज्ञान नहीं था, न ही उसका इरादा मौत या शारीरिक चोट पहुंचाने का था, जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मौत का कारण बन सके, तो अपराध हत्या नहीं होगा, भले ही वह चोट जिसके कारण हुई हो मौत, जानबूझकर दी गई थी. धारा 300 के खण्ड (3) में , धारा 299 के संगत खण्ड (बी) में आने वाले 'मृत्यु कारित होने की संभावना' शब्दों के स्थान

पर , "प्रकृति के सामान्य क्रम में पर्याप्त" शब्दों का प्रयोग किया गया है। जाहिर है, अंतर ऐसी शारीरिक चोट के बीच है जिससे मृत्यु होने की संभावना है और प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त शारीरिक चोट के बीच है। अंतर ठीक है, लेकिन वास्तविक है और अगर इसे नजरअंदाज किया गया, तो न्याय की विफलता हो सकती है। धारा 299 के खंड (बी) और धारा धारा 300 के खंड (3) के बीच का अंतर इच्छित शारीरिक चोट के परिणामस्वरूप मृत्यु की संभावना की डिग्री में से एक है। इसे अधिक व्यापक रूप से कहें तो, यह मृत्यु की संभावना की डिग्री है जो यह निर्धारित करती है कि सदोष मानववध हत्या गंभीरतम, मध्यम या निम्नतम डिग्री की है या नहीं। धारा 299 के खंड (बी) में 'संभावना' शब्दबद्ध एक मात्र संभावना से अलग संभावित का अर्थ बताता है। शब्द "शारीरिक चोट.....प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है" का अर्थ है कि प्रकृति के सामान्य क्रम को ध्यान में रखते हुए, मृत्यु चोट का "सबसे संभावित" परिणाम होगी।

10. खंड (3) के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का इरादा मृत्यु कारित करने का हो, जब तक कि मृत्यु जानबूझकर की गई शारीरिक चोट या प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त चोटों से होती है। राजवंत और

अन्य. बनाम केरल राज्य, (एआईआर 1966 एससी 1874) इस बिंदु का एक उपयुक्त उदाहरण है।

11. विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, (एआईआर 1958 एससी 465) में, विवियन बोस, जे. ने न्यायालय के लिए बोलते हुए खंड (3) का अर्थ और दायरा समझाया। यह देखा गया कि अभियोजन पक्ष को धारा 300 के तहत मामला लाने से पहले निम्नलिखित तथ्यों को साबित करना होगा, "तीसरा"। सबसे पहले, इसे काफी निष्पक्ष रूप से स्थापित करना होगा, कि कोई शारीरिक चोट मौजूद है; दूसरे, चोट की प्रकृति सिद्ध होनी चाहिए। ये पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ जांच हैं। तीसरा, यह साबित किया जाना चाहिए कि उस विशेष चोट पहुंचाने का इरादा था, यानी यह आकस्मिक या अनजाने में नहीं था या किसी अन्य प्रकार की चोट का इरादा था। एक बार जब ये तीन तत्व मौजूद साबित हो जाते हैं, तो जांच आगे बढ़ती है, और चौथा यह साबित होना चाहिए कि ऊपर बताए गए तीन तत्वों से बनी जिस प्रकार की चोट का वर्णन किया गया है, वह प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। जांच का यह हिस्सा पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ और अनुमानात्मक है और इसका अपराधी के इरादे से कोई लेना-देना नहीं है।

12. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के "तीसरे" खंड के सामग्री घटक को प्रतिष्ठित न्यम्न न्यायाधीश ने अपनी संक्षिप्त भाषा में इस प्रकार बताया: "इसे संक्षेप में कहें तो,

> ''संक्षिप्त में, अभियोजन पक्ष को धारा 300 के तहत मामला लाने से पहले निम्नलिखित तथ्यों को साबित करना अनिवार्य होगा।
>
> सबसे पहले, इसे काफी निष्पक्षता से स्थापित करना होगा कि शारीरिक चोट मौजूद है।''
>
> दूसरे, चोट की प्रकृति सिद्ध होनी चाहिए। ये पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ जांच हैं।
>
> तीसरा, यह साबित किया जाना चाहिए कि उस विशेष शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा था, यानी यह आकस्मिक या अनजाने में नहीं था, या किसी अन्य प्रकार की चोट का इरादा था।
>
> एक बार जब ये तीन तत्व मौजूद साबित हो जाते हैं, तो जांच आगे बढ़ती है और
>
> चौथा, यह साबित होना चाहिए कि ऊपर बताए गए तीन तत्वों से बनी जिस प्रकार की चोट का वर्णन किया गया है,

वह प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। जांच का यह हिस्सा पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ और अनुमानात्मक है और इसका अपराधी के इरादे से कोई लेना-देना नहीं है।"

13. विद्वान न्यायाधीश ने तीसरे घटक को निम्नलिखित शब्दों में समझाया (पृष्ठ 468 पर):

"सवाल यह नहीं है कि कैदी का इरादा गंभीर चोट पहुंचाने का था या मामूली चोट पहुंचाने का, बल्कि सवाल यह है कि क्या उसका इरादा ऐसी चोट पहुंचाने का था जो साबित हो चुकी है। यदि वह दिखा सकता है कि उसने ऐसा नहीं किया, या यदि परिस्थितियों की समग्रता इस तरह के अनुमान को उचित ठहराती है, तो निश्चित रूप से, अनुभाग के लिए आवश्यक इरादा साबित नहीं होता है। लेकिन अगर चोट और इस तथ्य से परे कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता ने इसे पहुंचाया है, तो एकमात्र संभावित निष्कर्ष यह है कि वह इसे पहुंचाना चाहता था। चाहे उन्हें इसकी गंभीरता का पता था या इसके गंभीर परिणामों का इरादा था, न तो यहां है और न ही वहां। जहां तक इरादे का सवाल है, सवाल यह नहीं है कि क्या उसका इरादा हत्या करने का था, या किसी

विशेष डिग्री की गंभीर चोट पहुंचाने का था, बल्कि यह है कि क्या उसका इरादा चोट पहुंचाने का था और एक बार चोट का अस्तित्व साबित हो जाए तो ऐसा करने का इरादा तब तक माना जाएगा जब तक कि सबूत या परिस्थितियाँ विपरीत निष्कर्ष की गारंटी न दें।"

14. विवियन बोस, जे. की ये टिप्पणियाँ कानूनी स्टैण्ड (लोकस क्लासिकस) बन गई हैं। खंड "थर्ड" की प्रयोज्यता के लिए विरसा सिंह के मामले (सुप्रा) द्वारा निर्धारित परीक्षण अब हमारी कानूनी प्रणाली में शामिल हो गया है और कानून के शासन का हिस्सा बन गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के खंड तीसरे के तहत, सदोष मानववध हत्या है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं: यानी (ए) कि वह कार्य जो मौत का कारण बनता है, मौत का कारण बनने के इरादे से किया जाता है या शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किया जाता है। ; और (बी) कि पहुंचाई जाने वाली चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। यह साबित किया जाना चाहिए कि उस विशेष शारीरिक चोट को पहुंचाने का इरादा था, जो प्रकृति के सामान्य क्रम में, मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, अर्थात, जो चोट मौजूद पाई गई वह वह चोट थी जिसे पहुंचाने का इरादा था।

15. इस प्रकार, विरसा सिंह के मामले में निर्धारित नियम के अनुसार, भले ही अभियुक्त का इरादा प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त शारीरिक चोट पहुंचाने तक ही सीमित था, और इसका विस्तार करने के इरादे तक नहीं था मृत्यु, अपराध हत्या होगा। उदाहरण (सी) धारा 300 से जुड़ा हुआ स्पष्ट रूप से इस बिंदु को सामने लाता है।

16. धारा 299 के खंड (सी) और धारा धारा 300 के खंड (4) दोनों के लिए कार्य के कारण मृत्यु की संभावना का ज्ञान आवश्यक है। इस मामले के प्रयोजन के लिए इन संबंधित खंडों के बीच अंतर पर अधिक विस्तार करना आवश्यक नहीं है। यह कहना पर्याप्त होगा कि धारा 300 का खंड (4) वहां लागू होगा जहां अपराधी को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु की संभावना के बारे में ज्ञान हो, जो किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों से अलग हो - उसके आसन्न होने के कारण। खतरनाक कृत्य, व्यावहारिक निश्चितता के करीब। अपराधी की ओर से इस तरह का ज्ञान उच्चतम स्तर की संभावना का होना चाहिए, अपराधी द्वारा किया गया कार्य बिना किसी बहाने के मौत या ऐसी चोट पहुंचाने का जोखिम उठाता है जैसा कि ऊपर बताया गया है।

17. उपरोक्त केवल व्यापक दिशा-निर्देश हैं, कोई अनिवार्यता नहीं है। अधिकांश मामलों में, उनके पालन से न्यायालय के कार्य में सुविधा

होगी। लेकिन कभी कभी -कभी तथ्य इतने आपस में गुंथे हुए होते हैं और दूसरे और तीसरे चरण एक-दूसरे में इतने दूरदर्शी होते हैं कि दूसरे और तीसरे चरण में शामिल मामलों को अलग-अलग उपचार देना सुविधाजनक नहीं हो सकता है।

18. आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु पुन्नय्या और अन्य मामले में इस न्यायालय द्वारा स्थिति पर प्रकाश डाला गया था । (1976 (4) एससीसी 382), अब्दुल वहीद खान उर्फ वहीद और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (जेटी 2002 (6) एससी 274), ऑगस्टीन सलदान्हा बनाम कर्नाटक राज्य (2003 (10) एससीसी 472), थंगैया बनाम तमिलनाडु राज्य (2005 (9) एससीसी 650) और सुंदर लाल बनाम राजस्थान राज्य (2007 (10) एससीसी 371) और कंडास्वामी बनाम राज्य प्रतिनिधि। पुलिस निरीक्षक द्वारा (एसएलपी (सीआरएल) संख्या 5134/2006 दिनांक 17.7.2008 को निस्तारित)

19. पहचान के पहलू पर आते हुए, परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसमें कहा गया है कि 7.10.1996 को टीआई परेड में गलत व्यक्ति को शामिल किये जाने के कारण वर्तमान अपीलार्थी की पहचान नहीं हो सकी। वास्तविक संदिग्ध, यानी वर्तमान अपीलकर्ता को टीआई परेड में नहीं रखा गया था और इस

पहलू को टीआई परेड से संबंधित रिपोर्ट में नोट किया गया है। इसके बाद, टीआई परेड आयोजित की गई जहां अपीलकर्ता की पहचान की गई।

20. यह नोट करना और भी प्रासंगिक है कि मुकदमे के दौरान वर्तमान अपीलकर्ता अलीपुर जेल से अदालत तक ले जाते समय जेल की हिरासत से भाग गया था।

21. इस प्रश्न पर आते हैं कि क्या अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध भा॰ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 या धारा 304 के अंतर्गत आता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरोपी अपीलकर्ता ने मृतक पर अपने आग्नेयास्त्र से गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।

22. घटना के दो चश्मदीद गवाह हैं यानी पी.डब्लू 12 और 24 श्याम प्रसाद मेहता (पी.डब्लू -12) शिकायतकर्ता था जबकि पी.डब्लू 24 घटना का एक और चश्मदीद गवाह था। वे मृतक के बेटे हैं और घटना में घायल हुए हैं।

23. पी.डब्लू 12 के अनुसार घटना दिनांक को वह रोजाना की तरह रात करीब 11.30 बजे अपने पिता और बड़े भाई के लिए खाना लेकर गया था। वह अपने पिता से बात कर रहा था और उसके पिता ने उसे ट्यूबवेल से पीने का पानी लाने के लिए कहा। इसके तुरंत बाद जब वह दुकान के

कमरे के काउंटर के सामने खड़ा था, एक एम्बेसडर कार दुकान के कमरे के सामने रुकी जिसमें से छह लोग उतरे और दो व्यक्ति कार के अंदर ही रह गए। सभी छह व्यक्ति विभिन्न हथियारों से लैस थे , जिनमें से दो रिवॉल्वर से लैस थे। वे दुकान के कमरे में घुस गए और अलमारियों की चाबियाँ मांगी और जब पी.डब्लू 24 ने कहा कि उसके पास समान नहीं है, तो उनमें से एक ने अपने बड़े भाई पर बंदूक के बट से चार बार हमला किया, तीन बार सिर पर और एक उसके आंख के किनारे के पास। जिसके परिणामस्वरूप उसे खून की चोटें आईं। उसने अपने बड़े भाई को बचाने की कोशिश की। उसी समय वर्तमान अपीलार्थी ने उसके पिता पर गोली चला दी। इसी प्रभाव का प्रमाण पी.डब्लू 24 का है। डॉक्टर पी.डब्लू 22 ने कहा था कि मौत बंदूक की गोली के प्रभाव के कारण हुई थी।

24. उपरोक्त स्थिति होने के कारण इस दलील में कोई दम नहीं है कि अपराध भा.दं.सं. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत नहीं आता है।

25. अपील अस्वीकार है और इसलिए खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुयश (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।